

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म०प्र०
तृतीय तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

Ann. P/1 (18)

कमांक 21454/1312/13/वि०वि०/०८/138/०६

भोपाल, दिनांक-19-5-06

प्रति,

✓ कुलसचिव,

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,

इन्दौर (म०प्र०)

विषय:- स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर में शिक्षक पदों के सृजन की अनुमति ।

संदर्भ:- (1) म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ-8/17/03/सीसी/38/151 दिनांक 16-2-2006

(2) कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का पत्र कमांक पीएआर/06/277 दिनांक 2-2-2006

(3) कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का अर्घशासकीय पत्र पृष्ठांकन कमांक कुपका/2006/308-सीसी दिनांक 24-1-2006.

(4) कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का पत्र कमांक निल, दिनांक 4-3-2006.

—000—

राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 8/17/03/सी-सी/38/151 दिनांक 16-2-06 के द्वारा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के प्रस्ताव अनुसार वित्त विभाग द्वारा मान्य की गई एग्जिट पालिसी (Exit policy) के अंतर्गत, केन्द्रीय परिषद के मापदंडों के अनुसार स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के लिए सृजित किये जाने वाले शिक्षकीय (टीचिंग) पदों पर मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत, राज्य शासन पर वर्तमान एवं भविष्य में कोई वित्तीय भार नहीं पड़ने की शर्त पर, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनुमति जारी करने के निर्देश दिये हैं ।

कुलसचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत 245 शिक्षकीय पदों की स्वीकृति की मांग करते हुए यह वचन पत्र दिया गया है कि स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नियमित रूप से नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों पर वेतन भत्ते आदि समस्त प्रकार के उत्तरदायित्वों हेतु राज्य शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा । विश्वविद्यालय ने यह भी स्वीकार किया है कि स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त किये जाने वाले शिक्षकों के वेतन आदि का व्यय भार स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत फीस के रूप में प्राप्त आय से वहन किया जावेगा

30/5/2006

Section Officer
Governor's Secretariat.
Raj Bhavan, BHPAL (M.P.)

निरन्तर-


तथा शासन पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा । विश्वविद्यालय ने यह भी मान्य किया है कि यदि किन्हीं कारणों से स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत रखे जाने वाले शिक्षकों को पृथक करना पड़ता है तो समस्त वैधानिक दायित्वो एवं न्यायालयीन प्रकरणों का पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा । शासन इसमें कोई पक्षकार नहीं बनेगा, विश्वविद्यालय ने स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत निम्न विभागों में 245 पद भरने की अनुमति मांगी है ।

एग्जिट पालिसी(Exit policy) का शासन के विभिन्न विभागों से परीक्षण करा लिया गया है । स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत 245 (दो सौ पैंतालीस) पदों की स्वीकृति एवं पद भरने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है :-

क्र०	विभाग का नाम	प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता	योग
1	इंजीनियरिंग	11	21	64	96
2	आई.आई.पी.एस.	11	21	37	69
3	फार्मसी	05	08	13	26
4	आई.एम.एस.	02	05	13	20
5	एम0बी0ए0(आई.बी.)	-	01	03	04
6	एम0बी0ए0 (बी.ई.)	-	01	03	04
7	एम0पी0एड0	-	01	01	02
8	योग	-	-	01	01
9	एस0ओ0 लॉ	01	01	03	05
10	एस0ओ0 पत्रकारिता	01	01	01	03
11	एम0एस0 सी0 इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन	01	01	01	03
12	एम0एस0सी0आई0टी0	-	01	01	02
13	एम0टेक0 कम्प्यूटर	01	01	03	04
14	एम0बी0ए0 सी0एम0	-	01	03	04
	योग	33	64	148	245

शर्तें:-

- उपरोक्त पदों की पूर्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियम/निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाये तथा इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कोटे का पूर्णतः पालन किया जाये।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा अन्य वैधानिक संस्थाओं के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिये निर्धारित किये गये मापदंडों का पूर्णतः पालन किया जाये ।
- जैसा कि विश्वविद्यालय ने स्वयं वचन पत्र दिया है कि उसे शासन से इन नियुक्तियों के लिए किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है । विश्वविद्यालय को राज्य शासन के द्वारा किसी भी प्रकार की ब्लाक ग्रांट या अन्य कोई अनुदान/आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जावेगी ।


 Section Officer
 Govt. Secy's Secretariat
 Raj. Secretariat, BHOPAL (M.P.)

निरन्तर



4. स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नियुक्त होने वाले शिक्षकों के वेतन भत्ते आदि का वहन स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के तहत प्राप्त होने वाली आय/ या शुल्क से किया जायेगा ।

5.(अ) विश्वविद्यालय के प्रस्ताव अनुसार एण्डोमेंट फंड(Endowment fund) में प्रथमतः 10,00,00,000/- (दस करोड़) एक मुश्त फिक्स डिपोजिट के रूप में जमा करेगा । इसके अतिरिक्त स्ववित्तीय पाठ्यक्रम से प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली आय की न्यूनतम 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) राशि या स्थापना व्यय का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो विश्वविद्यालय के द्वारा एण्डोमेंट फंड(Endowment fund) के रूप में स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के वेतन भत्तों के लिए सुरक्षित रखी जायेगी ।

(ब) एण्डोमेंट फंड में जमा राशि को प्रत्येक तिमाही में क्षेत्रीय, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर के साथ संयुक्त खाते में जमा करना होगी ताकि भुगतान पर शासन का नियंत्रण रहे ।

6. स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त होने वाले शिक्षकों का संवर्ग विश्वविद्यालय के अन्य पदों/अनुदानित पदों के संवर्ग से बिल्कुल अलग होगा । दोनों में कोई परस्पर संबंध नहीं होगा एवं अनुदानित पदों पर कार्यरत शिक्षकों को स्ववित्तीय योजनाओं के अंतर्गत न तो पदस्थ किया जायेगा और न ही उनका समायोजन/ संविलियन / स्थानांतरण ही किया जायेगा ।

7.(अ) स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली/ की गई नियुक्तियों के संबंध में यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण बनता है तो उच्च शिक्षा विभाग एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा । इसका दायित्व विश्वविद्यालय तथा संबंधित शिक्षक का होगा ।

(ब) इन पदों से संबंधित किसी भी न्यायालयीन प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, आयुक्त उच्च शिक्षा या अधिनस्थ कार्यालय को प्रतिवादी नहीं बनाया जायेगा ।

8. यह नियुक्तियों तभी तक वैध मानी जावेंगी जब तक विभाग/संस्थान/ पाठ्यक्रम/विषय चलते रहेंगे। पाठ्यक्रम बंद होने पर नियुक्तियों स्वमेव समाप्त मानी जावेंगी ।

9. इस प्रकार की नियुक्तियों पर किसी प्रकार की पेंशन की पात्रता नहीं होगी । Raj Bhavan, BHOPAL (M.P.)

10. सी0पी0एफ0, जी0आई0एस0 आदि किसी प्रकार की कटौती विश्वविद्यालय अपने स्तर पर स्ववित्तीय योजना में भर्ती होने वाले शिक्षकों के अंशदान पर तय करेगा ।

Section Officer
Governor's Secretariat

निर्वाहक -

22

11. उपरोक्त पदों पर नियुक्तियों पूर्णतः अस्थाई होंगी और किसी भी समय बिना कि नोटिस के समाप्त कर दी जाएंगी ।
12. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया विधिवत ज्ञापन जारी कर निहित नियमों / प्रावधानों के अंतर्गत ही की जाये और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण नं. 23 3492/1996 हिमाचल प्रदेश सरकार विरुद्ध सुरेश कुमार वर्मा में व्यक्त की गई धारणा का ध्यान रखा जाये । इसी संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 5-3/2004/एक/03 भोपाल, दिनांक 12-4-2005(छायाप्रति संलग्न) का पालन भी सुनिश्चित किया जाये ।
13. स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त होने वाले शिक्षकों से नान ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय की अंडर टैकिंग ली जाएगी कि उन्हें उपरोक्त शर्त मान्य है। यदि उन्हें यह शर्त मान्य नहीं है तो वे कार्यभार ग्रहण नहीं करे ।
14. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24(20) के प्रावधान यथावत रहेंगे ।
15. चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता रखी जाये ।
16. चयन प्रक्रिया एवं साक्षात्कार में पारदर्शिता एवं प्रशासकीय नियंत्रण के लिए आवश्यक होगा कि साक्षात्कार बोर्ड में आयुक्त उच्च शिक्षा या उसके प्रतिनिधि को रखा जाये ।
17. इन पदों की वार्षिक समीक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था की जाये ताकि आवश्यकता अनुसार ही पदों पर भर्ती की जाये ।

(एस0डी0) अग्रवाल) 19.3.06
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, म0प्र0

पृ0क्रमांक / 1312/13/वि0वि0/08/138/06 भोपाल, दिनांक-

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के निजी सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल ।
3. कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Section Officer
Governor's Secretariat
Raj Bhavan, BHOPAL (M.P.)

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, म0प्र0